न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा राजस्व वाद **100/2020**

वादी :– 1. रणछोडराम पुत्र लादुराम उर्फ लादिया जाति भील निवासी मण्डापुरा तह0 पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :– 1. सुरताराम पुत्र लादुराम उर्फ लादिया जाति भील
2. वोताराम पुत्र लादुराम उर्फ लादिया जाति भील
3.. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।

<u>दावा बाबत् रेकर्ड दुरस्ती</u>

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

उपस्थित :– श्री जेठुलाल प्रजपापत वकील वादी

निर्णय दिनांक :– 16.08.2021

वादी की और से प्रस्तुत वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी का सरहद मौजा मण्डापुरा पटवार क्षेत्र पचपदरा तहसील पचपदरा में वर्तमान में दर्ज खसरा न. 2624/944 रकबा 01 बीघा 02 विस्वा, 2626/410 रकबा 08 बीघा 10 विस्वा, खसरा संख्या 2628/804 रकबा 01 बीधा कुल रकबा 10 बीघा 12 विस्वा भूमि कब्जा काश्त कृषि भूमि अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि में हिस्से अनुसार अलग बट्टा नम्बर दर्ज कर वादी व प्रतिवादी सं. 01 व 02 के मध्य दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण का अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। वादी अनपढ़ काश्तकार है जिसे अपने राजस्व रेकर्ड को देखने की कभी जरूर नहीं हुई। वादी ने दिनांक 07.09.2020 को केसीसी हेतु उक्त अपने खेत की नकले लेने गया तो वादी का प्रथम बार मालुम हुआ की राजस्व रेकर्ड के अनुसार उसका नाम रणछोडराम की जगह मण्डा गलत दर्ज हो गया है। जिसका पता वादी को चलने पर पटवारी से रेकर्ड का पता करने पर पटवारी द्वारा नाम गलत दर्ज होने की बात कही। जबकि वादी का नाम उसके सभी रेकर्ड राशनकार्ड, आधार कार्ड, अन्य खरीद सुदा कृषि भूमि वगैरा में रणछोडराम पुत्र लादुराम ही दर्ज है। मात्र पुश्तैनी संयुक्त खातेदारी की भूमि के राजस्व रेकर्ड में रणछोडराम की जगह मण्डा नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो गया है । वादी का सही नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होने से वादी अपनी कब्जा सुदा काश्त की भूमि का सरकारी उपयोग जैसे केसीसी, क्रेडिट इत्यादि [illegible] नहीं कर पा रहा है । जिससे वादी को उक्त रेकर्ड दुरुस्ती [illegible] हेतु [illegible] प्रस्तुत किया गया है।

वादी का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को दिनांक [illegible].10.2020 को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण को जारी सम्मन की रजिस्टर्ड रसीद [illegible] तामिल के बावजूद अनु[illegible] अतः उक्त के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी । तहसीलदार पचपदरा से इस सबध में रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.11 18:39:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तहसीलदार पचपदरा द्वारा क्रमांक/राजस्व/2021/2085 दिनांक 11.08.2021 को तथ्यातमक रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार पचपदरा ने रिपोर्ट में जाहिर किया कि रणछोडराम पुत्र लादुराम तथा मण्डा वल्द लादीया दोनो एक ही व्यक्ति है । राशनकार्ड, आधार कार्ड, जमाबदी संवत् 2071–2074 में रणछोडराम पुत्र लादुराम दर्ज है जो नियमानुसार शुद्व किये जाने की अनुशंषा की गई है।

हमने वादी वकील की एकपक्षीय बहस को सुना व पत्रावली व वादी साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेंजात की छाया प्रति आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जमाबदी संवत् 2071–2074 एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में वादी सही व शुद्व नाम रणछोडराम पुत्र लादुराम है। केवल मात्र जमाबंदी में रणछोड पुत्र मण्डा जाति भील दर्ज है, तहसीलदार पचपदरा से मौके की जांच कर वादी की वल्दीयत सही करने की अनुशंषा की है । अतः वादी का वाद स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी के वाद को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विस्तृत विवेचन के अनुसार वादी के दावा को स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है मौजा मण्डापुरा पटवार क्षेत्र पचपदरा तहसील पचपदरा में वर्तमान में दर्ज खसरा न. 2624/944 रकबा 01 बीघा 02 विस्वा, 2626/410 रकबा 08 बीघा 10 विस्वा, खसरा संख्या 2628/804 रकबा 01 बीधा कुल रकबा 10 बीघा 12 विस्वा वादग्रस्त आराजी में वादी की वल्दीयत रणछोडराम पुत्र मण्डा की जगह पर सही नाम रणछोडराम पुत्र लादुराम का अमलदरामद करे। डिक्री पर्चा जारी हो ।

(S.D.O.) बालोतरा

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 16.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.11 18:39:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner